न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 954 / 2024

अनवान : –

1. यादविन्दर सिंह पुत्र राजगोविन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी भागु मुक्तसर साहिन पंजाब।

– **वादी**

बनाम्

1. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14 / 15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 11807 / 45540 हिस्सा, रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता स0 71 / 68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक दुसरे के सह खातेदार काश्तकार है तथा पारिवारिक सदस्य है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दुसरी जगह भूमि दे दी है इसलिए मुताबिक बाहमी राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में अपना हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त समस्त वाद भूमि में वादी काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद [illegible] अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की [illegible] मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा चक 24 एनटीआर सम्वत 2074–77 खाता स0 14/14, रोही मौजा 15 जेएसएन बी सम्वत 2075–78 खाता स0 71/68 पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 11807/45540 हिस्सा, रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता स0 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक दुसरे के सह खातेदार काश्तकार है तथा पारिवारिक सदस्य है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दुसरी जगह भूमि दे दी है इसलिए मुताबिक बाहमी राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में अपना हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त समस्त वाद भूमि में वादी काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 11807/45540 हिस्सा, रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता स0 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलम जन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 954 / 2024
अनवान : –

1. यादविन्दर सिंह पुत्र राजगोविन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी भागु मुक्तसर साहिन पंजाब।

– **वादी**

बनाम्

1. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 954 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14 / 15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 11807 / 45540 हिस्सा, रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता स0 71 / 68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested